क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-**800001**
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

<u>प्रेस वज्ञप्ति</u>

<u>कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान</u>

पटना, दिनांक : **11-07-2025**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स बंसल कुमार प्रसाद के अधीन एन.बी.पी.डी.सी.एल.प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री आजाद आलम जो सारण में मानव बल के पद पर कार्यरत थे, उनकी आ श्रता पत्नी हसबुल निशा, पुत्री- निकहत परवीन एवं पुत्र - शाहिद रसीद को कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम, 1948 के अंतर्गत आ श्रत हितलाभ प्रदान कया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. आजाद आलम की मृत्यु दिनांक 01-09-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी | वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आ र्थक रूप से उन पर निर्भर था| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आ श्रतों के लए मा सक पेंशन स्वीकृत कया गया । पेंशन के रूप में 336 रु. प्रतिदिन की दर से लगभग प्रतिमाह (10080/-) आ श्रतों को मलेगा । दुर्घटना की ति थ से आज तक लगभग 221760 रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित कया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है क कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आ श्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मा सक आ श्रत पेंशन दिया जाता है ।

<u>क्षेत्रीय निदेशक</u>